(~~108~~) (107)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2024 / 590 परमाल V/S होशियार सिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.2024	पत्रावली आज न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/01/2025 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
2/1/25 Not press Dismissed 2/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील अपीलांट द्वारा अपनी अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण को इसी स्तर पर नोट प्रेस में खारिज किये जाने का कथन करते हुये न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। हमने अधिवक्ता अपीलांट के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा पत्रावली की आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित कर दिया गया है इसलिये यह अपील आगे चलाया जाना अब सम्भव नहीं है। किन्तु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रकरण कस्टोडियन भूमि संबंधी प्रतीत होता है। उक्त के आलोक में तहसीलदार तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि कस्टोडियन भूमि आवंटन नियम 1963 के नियम 5 के अनुसार कीमत जमा करवाये जाने संबंधी तथ्यों की जांच करें। मौके पर जिसके हक में सनद जारी की गई है का कब्जा काश्त है अथवा नहीं का परीक्षण कर यदि उक्त नियमों की अवहेलना प्रकट होना सिद्ध होता है तो उक्त नियमों के नियम 6 के अन्तर्गत भूमि की सार्वजनिक नीलामी की जा सकती है अथवा नहीं के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक विवेचन कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही यथासमय सुनिश्चित करें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अपीलांट द्वारा अपील नोट प्रेस किये जाने के कारण अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार तिजारा को पृथक से तहरीर पालनार्थ जारी हो तथा जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा को तहरीर की प्रति पर्यवेक्षणार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	